न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव(आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 08/2017

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, छबडा
जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

1–श्री नजीर पुत्र श्री बन्ने खान निवासी–सुल्तान टाकीज के पास,
छबडा तहसील–छबडा जिला–बारां (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)
2. श्री महेश प्रकाश गौतम, अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक– 10.07.2019

1– प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक,छबडा द्वारा इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा–6 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 13.10.2017 को रात 10.00 बजे पुलिस थाना छबडा द्वारा गुर्जर धर्मशाला के पास स्टेशन रोड, छबडा पर एक मारूति वेन पकडी जिसमें 14 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा गाड़ियो में रिफलिंग करने के उपकरण मिले, जिन्हे डिटेन कर पुलिस थाना छबडा में जॉच व सुरक्षा के लिये खडा किया गया तथा थानाधिकारी, छबडा की सूचना पर सुनील यादव प्रवर्तन निरीक्षक,छबडा हमराह श्री हरलाल मीणा, प्रवर्तन अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 14.10.2017 को थाना छबडा में मौके पहॅुचकर, उप निरीक्षक थाना छबडा द्वारा रात्रि को डिटेन की गई मारूति वैन मय गैस सिलेण्डर एवं उपकरण की जॉच की गयी। मौके पर मिली वैन में एच.पी. मे 11 भरे सिलेण्डर(सील किये हुये), 3 खाली सिलेण्डर(अनसील्ड), एक गाडी में गैस भरने का उपकरण एवं एक विद्युत मीटर रखे मिले।

क0सं0	सिलेण्डर का एस.आ.नं0	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित एल.पी.ली. का मानक भार	खाली सिलेण्डरो का टेयरवेट	भौति सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी	शुद्ध गैस का भार
1	547253	HPCL	14.2	15.1	20	4.3
2	355692	HPCL	14.2	16.0	16.200	0.200
3	048084	HPCL	14.2	15.7	29	13.300
4	077195	HPCL	14.2	15.6	29.800	14.200
5	253944	HPCL	142	15.5	29.670	14.170
6	490060	HPCL	14.2	15.8	30	14.200
7	316293	HPCL	14.2	15.8	29.980	14.180
8	886224	HPCL	14.2	16.0	30.200	14.200
9	560527	HPCL	14.2	15.6	29.800	14.200
10	327340	HPCL	14.2	15.3	29.500	14.200
11	052405	HPCL	14.2	15.5	29.700	14.200
12	875679	HPCL	14.2	15.7	29.900	14.200
13	070044	HPCL	14.2	15.7	29.900	14.200
14	240336	HPCL	14.2	15.7	29.900	14.200
	Total					173.950

उक्त वैन, गैस एवं उपकरणों के साथ पुलिस द्वारा डिटेन किये गये नजीर पुत्र बन्ने खान जाति–मुसलमान उम्र–32 साल निवासी–सुल्तान टाकीज के पास, छबडा ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वह गाडियो में गैस भरने का काम करता है। इसके लिये वह विभिन्न उपभोक्ताओं से घरेलू गैस सिलेण्डर पैसे देकर प्राप्त करता है। परन्तु उसने किसी उपभोक्ता का नाम नहीं बताया। इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध व्यवासयिक उपयोग में लेना पाया गया। नजीर पुत्र बन्ने खान ने इस बाबत कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये।

2– इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर का मय गैस 173.950 किग्रा. का व्यवसायिक उपयोग कर उक्त व्यक्ति ने राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड, 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश,2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अवैध रूप से घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग पाये जाने पर, सिलेण्डरों को तोलने पर उपरोक्तानुसार भरी हुये गैस को मय 14 सिलेण्डर, एक गाडी में गैस भरने का उपकरण, एक विद्युत मीटर एवं वैन को जप्त सरकार किया गया तथा वैन को श्री धनराजसिंह उपनिरीक्षक थाना छबडा एवं 14 सिलेण्डर, एक गाडी में गैस भरने का उपकरण, एक विद्युत मीटर को निधी एच.पी.गैस छबडा की अन्तरिम सुपुर्दगी में दिया गया। अतः उपरोक्तानुसार 14 गैस सिलेण्डरो को मय 173.950 किग्रा. गैस एवं एक गाडी में गैस भरने का उपकरण, एक विद्युत मीटर एवं एक वैन का नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

3– प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी ने दिनांक 28.01.2019 को जवाब प्रस्तुत किया।

4– इस प्रकरण में जेर सुनवाई दिनांक 10.9.2018 को श्री नजीररूद्दीन पुत्र बन्ने खॉ नि. छबडा जर्ये मुख्तार आम मालिक हिफजुर्रहमान पुत्र श्री महफूज खान जाति–मुसलमान निवासी करोली वाली मस्जिद, नला महोल्ला झालावाड (राज.) ने प्रार्थनापत्र पेश कर प्रकरण में जप्तशुदा वाहन आर.जे.28 यू.ए. 0493 जिसे थाना छबडा रपट संख्या 078 दिनांक 13.10.2017 से जप्त किया है, जिसे पुलिस अनुसंधान पूर्ण होने तथा प्रार्थी पंजीकृत स्वामी होने एवं वाहन के अकारण थाने में खडा रहने से उसकी अवेर सवेर नहीं हो पाने तथा यांत्रिकी खराबी होने से आर्थिक क्षति होने की संभावना व्यक्त कर उचित जमानत पर जप्तशुदा वाहन वेन को सुपुर्दगी में दिलाये जाने हेतु निवेदन किया।

5– प्रकरण में बहस प्रार्थनापत्र व इस्तगासा पेरोकार रसद व अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

6– बहस के दौरान पेरोकार रसद ने इस्तगासे में वर्णित तथ्यों का संक्षिप्त में विवेचन करते हुये व्यक्त किया कि दिनांक 13.10.2017 को पुलिस थाना छबडा थानाधिकारी द्वारा गुर्जर धर्मशाला के पास स्टेशन रोड, छबडा पर एक मारूति वेन संख्या आर.जे.28 यू.ए. 0493 पकडी थी, जिसमें 14 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा रिफलिंग करने के उपकरण मिलने पर जॉच की गयी थी तथा सुरक्षा हेतु थाने में खडा किया था। जिसकी सूचना रसद विभाग की दी गयी। जिसपर दिनांक 14.10.2017 को प्रवर्तन स्टॉफ एवं उप निरीक्षक,छबडा की उपस्थिति में जप्तशुदा वेन की जॉच की गयी जिसमें एच.पी. कम्पनी के

11 भरे सिलेण्डर(सीलशुदा), 3 खाली सिलेण्डर (अनसील्ड), एक गाडी में गैस भरने का उपकरण एवं एक विद्युत मीटर रखे हुये मिले तथा अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान अप्रार्थी नजीर पुत्र बन्ने खान नि. छबडा से पूछताछ करने पर अप्रार्थी ने स्वीकार किया है कि वह गाडियो में गैस भरने का काम करता है तथा पैसे लेकर सिलेण्डरों से रिफलिंग करता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरो को अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग किया जाता है। इसी आधार पर अप्रार्थी का वाहन एवं गैस सिलेण्डरों मय गैस 173.950 किग्रा. एवं उपकरण सामग्री को जप्त किया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड, 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश,2000 का स्पष्ट उल्लघंन है। अप्रार्थी दोषी रहा है। अतः जप्तशुदा वाहन वेन एवं 14 गैस सिलेण्डरो मय गैस 173. 950 किग्रा. एवं गैस भरने का उपकरण, एक विद्युत मीटर को राजसात किया जावे।

7— इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने पेरोकार रसद के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रस्तुत इस्तगासा असत्य तथ्यों पर आधारित है। थानाधिकारी,छबडा ने बिना कोई आधार के मारूति वेन व सिलेण्डरों को जप्त किया गया है। जबकि मारूति वेन में जप्त सिलेण्डर घरेलू गैस सिलेण्डर है जो वास्तविक रूप से घरेलू उपयोग व उपभोग के लिये हीं प्रायोजित है। उक्त गैस सिलेण्डरों को उपभोक्ताओं को वेन से गन्तव्य स्थान पर लेजाया जा रहा था। इसी बीच पुलिस द्वारा उक्त वेन व सिलेण्डरों को जप्त कर, मनगठन्त तथ्यों के आधार पर केस तैयार किया गया है। रिपोर्ट में अंकित सभी तथ्य निराधार है। जबकि वास्तविकता यह है कि सभी सिलेण्डर घरेलू उपयोग के है। उसके द्वारा कभी भी गैस सिलेण्डरों की ना तो रिफलिंग की गयी है ना हीं कोई कानून विरूद्व कोई कार्य किया है। इस्तगासे में अंकित कोई तथ्य प्रमाणित नहीं है। मात्र कयास के आधार पर केस तैयार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उसपर जो आरोप लगाये है इसकी पुष्टि हेतु ना तो उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किये है ना हीं संबंधित गैस ऐजेन्सी की जॉच की है। बिना जॉच पडताल किये उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा, 6(ए) के तहत दोषी नहीं माना जा सकता। उक्त इस्तगासा नियम विरूद्व तैयार किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जाकर, प्रकरण में जप्तशुदा मारूति वेन को संबंधित व्यक्ति एवं 14 सिलेण्डरों को संबंधित उपभोक्ताओं की सुपुर्दगी में वापस सम्भलाये जाने के आदेश पारित किये जावे।

8— हमने विद्वान पेरोकार सरकार एवं अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। इससे पाया जाता है कि दिनांक 13.10.2017 को रात्रि 10.00 बजे मुखबीर की सूचना कर पुलिस द्वारा गुर्जर धर्मशाला के पास स्टेशन रोड,छबडा पर एक मारूति वेन न0 आर.जे.28 यू.ए. 0493 की जॉच की गयी थी जिसमें 14 घरेलू गैस सिलेण्डरो को पकडा गया है, जिसे संबंधित रसद विभाग द्वारा दिनांक 14.10.2017 को जॉच पडताल कर, मौका रिपोर्ट तैयार कर, जॉच को पुष्ट करते हुये, मामला अवैध रिफलिंग का होना मानते हुये, प्रयुक्त मारूति वेन, सिलेण्डरों एवं उपकरण को जप्त किया जाकर, जप्तशुदा वाहन एवं सिलेण्डरों को अन्तरिम सुपुर्दगीदार की सुपुर्दगी में दिया जाकर, अप्रार्थी को दोषी मानकर उसके विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा, 6(ए) के तहत जप्तशुदा माल को राजसात करने हेतु इस्तगासा पेश किया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी को सुना गया है जिसमें अप्रार्थी का मुख्य

तर्क रहा है कि जप्तशुदा वेन से सिलेण्डरों को गनतव्य स्थान पर पहुँचाया जा रहा था। पत्रावली का परीक्षण एवं बहस सुनने के उपरान्त अप्रार्थी को यह कथन तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। क्योकि जप्तशुदा गैस सिलेण्डर घरेलू गैस सिलेण्डर है, जो उपभोक्ताओं को रिहायती दर पर घरेलू उपयोग के लिये प्रयोजित है जिनका अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से रिफलिंग गैस भरने का कार्य किया जा रहा है जो अप्रार्थी ने अपने बयानो में स्वंय ने स्वीकार भी किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों को अधिक पैसा प्राप्त कर, गैस को वाहन में अवैध रिफलिंग का कार्य किया जाता है। इसी आधार पर मारूति वेन नं0 आर.जे.28 यू.ए. 0493 एवं 14 घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं एक गैस भरने का उपकरण तथा एक विद्युत मीटर को जप्त किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में वाहन स्वामी की ओर से जप्तशुदा वाहन मारूति वेन का पंजीकृत स्वामी होने एवं अधिक समय तक वाहन जप्त रहने से यांत्रिकी खराबी एवं आर्थिक क्षति होने से जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी में दिलाये जाने हेतु अनुरोध किया है। इसलिये मारूति वेन पर पैलेन्टी कायम कर, वाहन मारूति वेन को वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में दिया जाना उचित समझते है।

9— परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जप्तशुदा उपरोक्तानुसार 14 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस 173.950 किग्रा., गैस भरने का उपकरण एवं एक विद्युत मीटर को जप्तराज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 14 गैस सिलेण्डरों को मय गैस अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, नियमानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी एच0पी0 में जमा कराकर, रसीद प्राप्त करे तथा गैस भरने का उपकरण, एक विद्युत मीटर को नष्ट किया जावे। इसी प्रकार जप्तशुदा मारूति वेन नं0 आर.जे.28 यू.ए. 0493 के स्वामी श्री हिफजुर्रहमान पुत्र श्री महफूज खान जाति—मुसलमान निवासी करोली वाली मस्जिद नला मोहल्ला, झालावाड (राज0)
वाहन को सुपुर्दगी में प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां के समक्ष उपस्थित होकर, वाहन पर कायम पैनेल्टी 5,000/— (अक्षरे पॉच हजार रूपये) अन्दर तीन माह में जमा करा देवे तो उक्त वाहन मारूति वेन नं0 आर.जे.28 यू.ए. 0493 को वाहन के स्वामी सुपुर्दगीदार हिफजुर्रहमान पुत्र श्री महफूज खान जाति—मुसलमान निवासी करोली वाली मस्जिद नला मोहल्ला, झालावाड (राज0) की सुपुर्दगी में सम्भलाया जावे अन्यथा उक्त वाहन राजसात रहेंगा। जिला रसद अधिकारी, बारां नियत तिथि पश्चात् वाहन मारूति वेन नं0 आर.जे. 28 यू.ए. 0493 को खुली नीलामी में विक्रय कर, प्राप्त आय को राजकीय मद में जमा कराना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.08.05 11:19:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: